

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1928

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

यातायात उल्लंघन के लिए ई-चालान

1928. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में यातायात उल्लंघनों के लिए जारी किए गए ई-चालानों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान ई-चालानों के माध्यम से राज्य-वार जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों से अदा न किए गए ई-चालानों की राशि कितनी है; और

(घ) जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क)से (ग) देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या, वसूले गए जुर्माने की राशि और भुगतान न किए गए ई-चालान की कुल राशि का राज्यवार और वर्षवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I, II और III में दिया गया है।

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136ए में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या किसी राज्य के भीतर किसी भी शहरी नगर में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान है, जिसकी आबादी ऐसी सीमा तक है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तदनुसार, सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों पर सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अगस्त 2021 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के तहत नियम 167ए प्रकाशित किया है।

सीएमवीआर, 1989 का नियम 167 चालान जारी करने और भुगतान की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अलावा, इसका उप-नियम (5) प्रदान करता है, " उप-नियम (1) या (2) के तहत जारी किए गए चालान, चालान जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निपटाए जाएंगे, सिवाय उन अपराधों के जिन पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया हो"। साथ ही, उप-नियम (7) में यह भी प्रावधान है कि "यदि कोई चालान उप-नियम (5) में निर्दिष्ट समय अवधि के बाद देय है, सिवाय उन अपराधों के जिन पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया हो, तो अपराधी के लाइसेंस या मोटर वाहन के पंजीकरण के संबंध में आवेदन, जैसा भी मामला हो, चालान में उल्लिखित हैं, लाइसेंसिंग प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा संसाधित नहीं किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, मोटर वाहन के परमिट, फिटनेस और कर से संबंधित आवेदनों को छोड़कर"।

“यातायात उल्लंघन के लिए ई-चालान” के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1928 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यातायात उल्लंघन के लिए जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या, वसूले गए जुर्माने की राशि और भुगतान न किए गए ई-चालान की कुल राशि का वर्ष 2022 के लिए राज्यवार और वर्षवार विवरण।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या	वसूल की गई जुर्माने की राशि ( रु.)	बकाया ई- चालान की राशि ( रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	1,13,608	2,49,06,620	19,79,88,305
2.	असम	5,32,516	1,33,44,31,562	73,31,32,700
3.	बिहार	7,17,676	2,84,36,46,766	42,87,40,090
4.	छत्तीसगढ़	1,19,283	15,22,20,151	8,07,72,501
5.	चंडीगढ़	6,03,119	32,63,70,604	18,89,41,451
6.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7,883	55,03,500	72,000
7.	दिल्ली	78,06,302	2,59,55,08,525	11,33,08,53,534
8.	गोवा	5,08,266	23,54,22,215	70,14,254
9.	गुजरात	2,84,001	1,03,35,37,655	43,88,87,810
10.	हिमाचल प्रदेश	8,12,639	2,55,01,10,683	58,24,48,050
11.	हरियाणा	23,36,126	3,76,49,35,155	1,40,95,73,482
12.	झारखंड	1,56,234	16,35,49,748	13,12,01,226
13.	जम्मू और कश्मीर	4,35,530	14,34,15,114	15,08,06,200
14.	कर्नाटक	25,164	49,13,009	73,96,002
15.	केरल	53,02,602	2,37,04,98,048	72,56,57,889
16.	लद्दाख	12	2,900	500
17.	महाराष्ट्र	12,36,022	3,90,14,26,419	91,51,54,735
18.	मेघालय	32,620	2,78,42,000	13,20,200
19.	मणिपुर	2,263	23,41,000	47,04,600
20.	मध्य प्रदेश	7,08,724	24,20,23,567	1,57,15,959
21.	मिजोरम	4,788	37,22,100	6,89,800
22.	ओडिशा	13,33,395	1,17,98,28,644	2,44,51,63,233
23.	पंजाब	53,106	5,52,28,186	4,66,69,000
24.	पुदुचेरी	90,546	1,96,91,250	3,08,70,200
25.	राजस्थान	17,76,549	4,10,43,04,835	57,54,66,758
26.	सिक्किम	306	22,06,350	9,56,100
27.	तमिलनाडु	1,17,07,576	1,61,65,78,568	2,16,46,03,936
28.	त्रिपुरा	1,81,320	7,02,87,150	7,19,11,200
29.	उत्तराखंड	4,39,097	57,01,34,305	27,84,83,196
30.	उत्तर प्रदेश	92,78,931	5,71,60,61,596	13,21,11,76,631
31.	पश्चिम बंगाल	10,37,484	1,23,13,30,056	50,45,89,893
कुल		4,76,43,688	36,29,19,78,28 1	36,68,09,61,435

“यातायात उल्लंघन के लिए ई-चालान” के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1928 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यातायात उल्लंघन के लिए जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या, वसूले गए जुर्माने की राशि और भुगतान न किए गए ई-चालान की कुल राशि का वर्ष 2023 के लिए राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या	वसूल की गई जुर्माने की राशि ( रु .)	बकाया ई- चालान की राशि ( रु .)
1.	आंध्र प्रदेश	13,50,545	3,67,94,460	42,36,45,315
2.	असम	10,42,393	1,62,14,54,739	1,68,59,35,375
3.	बिहार	12,59,276	3,34,49,18,616	1,33,08,84,328
4.	छत्तीसगढ़	2,26,102	16,59,33,300	24,00,90,500
5.	चंडीगढ़	9,93,556	31,69,10,335	35,76,37,967
6.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30,114	1,90,81,500	79,500
7.	दिल्ली	76,86,559	2,49,72,64,352	15,40,14,39,478
8.	गोवा	5,58,485	37,35,73,340	3,47,09,504
9.	गुजरात	16,04,524	1,50,18,71,027	1,35,62,56,793
10.	हिमाचल प्रदेश	8,24,211	48,62,26,103	50,22,08,900
11.	हरियाणा	34,03,726	3,81,63,92,879	2,37,88,40,640
12.	झारखंड	4,35,242	34,38,16,636	39,92,69,999
13.	जम्मू और कश्मीर	12,38,589	33,72,01,381	52,41,09,500
14.	कर्नाटक	2,48,266	6,31,72,691	7,55,66,348
15.	केरल	1,11,33,573	3,92,30,66,317	3,34,98,04,672
16.	लद्दाख	92	37,200	500
17.	महाराष्ट्र	13,69,989	3,36,44,74,862	1,10,15,95,640
18.	मेघालय	29,135	3,21,75,000	91,73,500
19.	मणिपुर	4,599	23,59,300	70,21,900
20.	मध्य प्रदेश	13,10,667	45,49,00,572	8,36,00,150
21.	मिजोरम	6,231	97,57,800	53,86,700
22.	ओडिशा	17,95,151	1,51,60,18,721	4,37,54,22,477
23.	पंजाब	72,191	6,76,29,744	5,30,37,112
24.	पुदुचेरी	1,57,825	4,02,15,850	7,19,31,600
25.	राजस्थान	20,44,767	4,35,11,51,231	99,31,04,083
26.	सिक्किम	465	19,41,740	11,45,920
27.	तमिलनाडु	1,11,34,818	3,76,31,63,017	8,95,34,78,099
28.	त्रिपुरा	5,32,121	17,97,89,013	25,38,01,625
29.	उत्तराखंड	6,67,356	71,31,38,941	50,09,23,248
30.	उत्तर प्रदेश	1,44,47,197	6,04,65,35,165	20,77,84,07,671
31.	पश्चिम बंगाल	23,04,317	2,11,56,62,923	1,29,38,00,388
कुल		6,79,12,082	41,50,66,28,755	66,54,23,09,432

“यातायात उल्लंघन के लिए ई-चालान” के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1928 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यातायात उल्लंघन के लिए जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या, वसूले गए जुर्माने की राशि और भुगतान न किए गए ई-चालान की कुल राशि का वर्ष 2023 के लिए राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी किए गए ई-चालान की कुल संख्या	वसूल की गई जुर्माने की राशि ( रु.)	बकाया ई-चालान की राशि ( रु.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	613	7,29,302	70,000
2	आंध्र प्रदेश	44,24,135	1,02,14,31,801	1,26,15,31,010
3	अरुणाचल प्रदेश	197	89,017	4,56,600
4	असम	14,41,690	1,16,76,34,738	1,98,51,25,750
5	बिहार	26,71,519	3,10,17,21,833	3,31,01,13,167
6	छत्तीसगढ़	2,63,521	18,03,17,351	38,36,90,650
7	चंडीगढ़	9,95,780	29,40,12,046	31,20,25,903
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	26,994	1,88,83,000	3,98,800
9	दिल्ली	78,19,674	1,91,61,00,424	22,47,25,94,131
10	गोवा	5,17,897	38,80,08,812	9,55,38,605
11	गुजरात	43,24,759	1,88,61,48,478	3,02,10,77,707
12	हिमाचल प्रदेश	10,97,851	57,33,88,800	92,86,02,029
13	हरियाणा	31,26,277	2,58,48,26,445	3,10,36,02,120
14	झारखंड	7,18,621	27,17,02,437	78,41,51,673
15	जम्मू और कश्मीर	15,44,120	41,42,46,173	93,03,17,597
16	कर्नाटक	4,81,684	7,46,20,519	19,38,86,650
17	केरल	1,13,81,008	3,23,29,32,354	4,72,19,67,179
18	महाराष्ट्र	27,99,657	3,98,13,20,715	3,53,37,00,873
19	मेघालय	31,930	3,08,57,601	1,10,51,000
20	मणिपुर	8,029	18,93,100	1,07,48,300
21	मध्य प्रदेश	25,50,226	55,82,79,671	46,76,40,650
22	मिजोरम	9,875	1,26,39,500	84,20,200
23	ओडिशा	13,83,608	1,03,87,56,747	3,79,27,26,878
24	पंजाब	3,97,839	52,26,09,528	30,94,26,075
25	पुदुचेरी	2,53,472	4,26,73,300	11,28,44,500
26	राजस्थान	24,93,859	3,64,87,92,121	1,73,55,95,255
27	सिक्किम	2,592	39,61,185	63,00,445
28	तमिलनाडु	1,11,61,166	3,14,54,12,650	10,10,50,80,705
29	त्रिपुरा	9,50,109	19,23,22,589	65,07,48,200
30	उत्तराखंड	9,12,186	83,25,06,426	87,47,67,757
31	उत्तर प्रदेश	1,53,84,517	5,40,72,20,459	23,86,09,56,466
32	पश्चिम बंगाल	27,15,921	1,80,24,25,169	1,99,37,95,254
कुल		8,18,91,326	38,34,84,64,291	90,97,89,52,129